| | |
|---|---|
| | # छत्तीसगढ़ विधान सभा |
| | पत्रक भाग - एक<br>**संक्षिप्त कार्य विवरण** |
| | पंचम विधान सभा    द्वितीय सत्र    अंक-04 |

<u>रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019</u>

(आषाढ़ 27, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

## 1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 52 तारांकित एवं 67 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 01 पर चर्चा के दौरान श्री अजय चन्द्राकर सदस्य द्वारा जाति सूचक शब्द का उपयोग किया गया ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा  नारे लगाये गये)

सत्तापक्ष के सदस्यों ने आसंदी से माननीय सदस्य को इस संबंध में खेद व्यक्त करने हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया । आसंदी के निर्देश पर माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर ने खेद व्यक्त किया ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय सदस्य ने माफी मांग ली है और अपनी भावना व्यक्त कर दी हैं ।

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-2018,

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 तथा

(3) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15-30/15-2/2019/1, दिनांक 5 जुलाई, 2019

**पटल पर रखे ।**

## 3. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल सदस्य ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन में अण्डा परोसे जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने मांग की ।

**(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)**

माननीय सभापति महोदय ने कथन किया कि जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है वे उस विषय पर ध्यानाकर्षण कर लें । यदि किसी सदस्य ने सूचना नहीं दी है तो वे न बोलें ।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

## 4. बहिष्कार

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया ।

(व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.22 बजे स्थगित की जाकर 12.54 बजे समवेत हुई। )

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

मानननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण समय है इसमें प्रदेश की तत्कालीन गतिविधियों के बारे में हमारे सदस्यगण जानकारी देते हैं । कोई भी सदस्य को शून्यकाल में अपनी बात कहने का अधिकार है, उसे ध्यानपूर्वक सुनें चाहे सत्तापक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य हों, उसमें किसी प्रकार से कोई सदस्य बाधक न बने ।

## 5. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने स्कूलों में अंडा वितरण पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि अंडा वितरण पर माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री आज सभा समाप्ति के पूर्व वक्तव्य देंगे ।

## 6. स्थगन प्रस्ताव

## पुलिस अभिरक्षा में व्यक्तियों की मौत होना ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा थाना चंदौरा, जिला सूरजपुर में लॉकअप में व्यक्ति की हुई मौत के संबंध में 03 सदस्यों से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना में सर्वप्रथम प्राप्त श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की सूचना पढ़ी गई ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

## 7. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

## 8. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 03 ध्यानकर्षण सूचना को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, अजीत जोगी, सदस्य ने प्रदेश में किसानों का कृषि ऋण माफ नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 05 का कार्य पूर्ण होने तक भोजनावकाश के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

## 9. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

## 10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर में भू-माफियाओं द्वारा नहरों को समतलीकरण कर अवैध कब्जा किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय मंत्रियों को निर्देशित किया कि शासन का उत्तर संक्षिप्त में आना चाहिये ।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

**(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)**

(3) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने जिला कोरबा में समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को पेंशन वितरण नहीं किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया, समाज कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

## 11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्मलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री अजय चन्द्राकर
(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
(3) श्री कुलदीप जुनेजा
(4) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
(5) श्री नारायण चंदेल
(6) श्री सौरभ सिंह
(7) श्री दलेश्वर साहू
(8) श्री ननकीराम कंवर
(9) श्री देवव्रत सिंह
(10) श्री धरमलाल कौशिक
(11) श्री अरूण वोरा
(12) श्री मोहन मरकाम
(13) श्री बृजमोहन अग्रवाल
(14) श्री कुंवर सिंह निषाद
(15) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
(16) श्री धनेन्द्र साहू
(17) श्रीमती इन्दू बंजारे
(18) श्री रजनीश कुमार सिंह

(19) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर
(20) श्री बघेल लखेश्वर
(21) श्री सत्यनारायण शर्मा
(22) श्री गुलाब कमरो
(23) श्री शैलेष पाण्डेय
(24) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी

## 12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री विनय कुमार भगत
(2) श्री बघेल लखेश्वर
(3) श्री प्रमोद कुमार शर्मा

## 13. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-2020 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय सभापति ने प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये कल शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 की तिथि निर्धारित की ।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

## 14. शासकीय विधि विषयक कार्य

### (1) छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019)

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण एवं सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक15 सन् 2019) पुर:स्थापित किया ।

**(2) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019)**

श्री टी.एस.सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पुर:स्थापित किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि शासन की ओर से विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण एवं सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक15 सन् 2019) | 01 घंटा |
| (2) | छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) | 30 मिनट |

**(3) पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019)**

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, धर्मजीत सिंह।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

**(4) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019)**

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री किस्मतलाल नन्द, देवव्रत सिंह।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

**(5) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019)**

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवव्रत सिंह।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

**(6) छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019)**

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

**(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)**

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री शैलेष पाण्डेय, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री देवेन्द्र यादव, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री कुलदीप जुनेजा, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह ।

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।

श्रीमती इन्दू बंजारे,

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

## 15. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष ने सूचित कि अब प्रदेश में हाथियों से उत्पात पर हो रही जन धन की हानि से उत्पन्न स्थिति पर श्री धरमलाल कौशिक चर्चा उठायेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने कथन किया कि चर्चा महत्वपूर्ण है इसलिये 139 की चर्चा अन्य अवसर पर ली जावे ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सहमति व्यक्त की और कथन किया कि हम इस पर सुझाव दे देंगे ।

## 16. वक्तव्य

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में अंडा वितरण के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

**सायं 6.08 बजे, विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 (आषाढ़-28, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा